

## न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या 15/2016 (जी.सी.एम.एस. नं. 2016/00261)

1. श्रीराम पुत्र स्व० श्री निरंजन लाल (मृतक दौराने अपील)  
1/1 पुष्पेन्द्र पुत्र श्रीराम, आयु 35 वर्ष  
1/2 रविन्द्र पुत्र श्रीराम, आयु 32 वर्ष  
1/3 विमला पत्नी श्रीराम, आयु 58 वर्ष
  2. पूरण सिंह पुत्र स्व० श्री निरंजन लाल
  3. अजीत पुत्र स्व० श्री निरंजन लाल
  4. संतरा पत्नी स्व० धन्नी लाल
  5. कमल पुत्र स्व० धन्नी लाल
  6. राहुल पुत्र स्व० धन्नी लाल
- समस्त जातियान अहीर, समस्त व्यस्क, निवासीगण ग्राम खिजुरीवास, तहसील तिजारा, जिला अलवर (राज०) ।

— प्रार्थी

### बनाम

1. भारत संघ जरिये सचिव रेल मंत्रालय, रेल भवन, नई दिल्ली ।
2. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेट फेन्ट कोरीडोर, कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, पांचवा तल, मेट्रोस्टेशन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली ।
3. परियोजना प्रबन्धक, डी.एफ.सी.सी. आई.एल., बी-12, हनुमान नगर, मेट्रो हॉस्पिटल के सामने, सिरसी रोड़, जयपुर
4. सक्षम अधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा, जिला अलवर (राज०) ।

— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स याचिका अंतर्गत धारा 20 (एफ) (जी) रेल अधिनियम 1989 रेल (संशोधित) अधिनियम 2008 सपटित मध्यस्थ एवं सुलहनामा अधिनियम-1996 बाबत प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 241 क्षेत्रफल 843 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 243 रकबा 204, खसरा नम्बर 244 रकबा 568 वर्गमीटर में हिस्सा 1/3 स्थित बनबन, तहसील तिजारा, जिला अलवर बाबत विशेष रेल परियोजना वेस्टर्न के लिए अर्जित की गई भूमि अंतर्गत रेल अधिनियम 1989 के अर्वाड दिनांक 15.07.2015 वाद संख्या 47/2015-16 के संदर्भ में प्रार्थी की उक्त भूमि के बाबत समुचित क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने हेतु एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण होने तक वादग्रस्त सम्पत्ति की स्थिति यथावत रखने बाबत ।

### उपस्थित-

1. श्री महावीर प्रसाद कसवा, वकील अपीलान्त
2. श्री मिखिल अग्रवाल, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2
3. रेस्पोंडेन्ट नं. 1, 4 के नोटिस बाद तामिल अनुपस्थित ।

### निर्णय

दिनांक 27.02.2024

1. यह रेफरेन्स याचिका अन्तर्गत धारा 20 (एफ) (जी) रेल अधिनियम, 1989 रेल (संशोधित) अधिनियम 2008 सपटित मध्यस्थ एवं सुलहनामा अधिनियम-1996 के प्रावधानों के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी, (उप खण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर के निर्णय दिनांक 15.07.2015 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रकरण ग्राम बनबन तहसील तिजारा जिला अलवर स्थित भूमि खसरा नम्बर 241 क्षेत्रफल 843 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 243 रकबा 204, खसरा नम्बर 244 रकबा 568 में से प्रार्थी की खातेदारी में से कुल रकबा 0.01615 हैक्टेयर भूमि की अवाप्ति होने पर जिसके बदले में प्रतिकर गलत आधारों पर 1615 वर्गमीटर भूमि को अवाप्त करना प्रमाणित कर रूपये 844219 किया। प्रार्थी की अवाप्त भूमि का मुआवजा बाजार के प्रचलित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन की राशि 1688438 अक्षरों सौलह लाख अठासी हजार चार सौ अडतीस रूपये मय ब्याज से मुआवजा निर्धारित करने से सम्बन्धित है।
3. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पॉन्डेन्ट्स की तलबी की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
4. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का.आ. 360 (अ) दिनांक 19.02.2008 द्वारा पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर को 1410 (अ) विशेष रेल परियोजना अधिसूचित किया गया तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या का. आ. दिनांक 10 मई, 2010 का उपखण्ड अधिकारी तिजारा को उक्त परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया। उक्त परियोजना के निष्पादन रख-रखाव, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए लोक प्रयोजन हेतु जिला अलवर के ग्राम बनबन, तहसील तिजारा की 2.8879 हैक्टेयर अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर, कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, नोएडा से प्राप्त हुआ। उपयुक्त भूमि के विवरण की अधिसूचना रेल अधिनियम 1989 की धारा 20ए के अंतर्गत भारत सरकार के राजपत्र संख्या का.आ. 2129 (अ) दिनांक 17.10.2014 को प्रकाशित की गई। केन्द्र सरकार द्वारा राजपत्र संख्या 1332 (अ) दिनांक 15.05.2015 को ग्राम बनबन में कुल 2.4363 हैक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 05.06.2015 को कराया गया। संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात कुल 50 खसराओं में 2.4363 हैक्टेयर रकबा अथवा 24363 वर्गमीटर रकबा लिया गया। जो संयुक्त सर्वेक्षण के पश्चात अधिग्रहित की जाने वाली भूमि है। उपरोक्त 50 खसरा नम्बरों में से प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 241 रकबा 0.0843, खसरा नम्बर 243 रकबा 0.0204, खसरा नम्बर 244 रकबा 0.0568 कुल रकबा 0.01615 हैक्टेयर भूमि अधिसूचना में शामिल है जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 1/3 है। प्रार्थी की भूमि का अवाप्त किये जाने की अधिसूचना भारतीय रेल अधिनियम 1989 के संशोधित अधिनियम 2008 के अंतर्गत की गई है। इस अधिनियम के विधिक आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए विपक्षी व भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड या अधिकारी विजाय जिवा अनवर में विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना उसकी अनुपस्थिति में अवार्ड पारित कर दिया, जिसकी सूचना भी विपक्षी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थी को आज तक उपलब्ध नहीं करायी प्रार्थी को अवार्ड के बाबत जानकारी होने पर प्रार्थी ने तत्काल भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर को पूर्व में अवार्ड की प्रमाणित प्रति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2016 को प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को दिनांक 14.03.2016 को प्राप्त हुई। उसके पश्चात प्रार्थी ने अपेक्षित कागजात एकत्रित कर माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विधि विरुद्ध तौर पर पारित किये गये अवार्ड का अवाप्ति के विधिक प्रावधानों बाबत उक्त रेल अधिनियम 1989 यथा संशोधित के चैप्टर 4 (ए) के प्रावधानों के अनुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही में अनेकानेक विधिक त्रुटियां कारित की है। इस अधिनियम में पंचाट पारित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात आदेश की पालना तक सभी अंतरिम तौर पर की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत धारा -9 माध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि रेल अधिनियम 2008 की धारा 20 (जी) में सक्षम अधिकारी

निर्णायक अधिकारी  
जयपुर

द्वारा निर्धारित किये गये क्षतिपूर्ति की राशि के बाबत किसी भी पक्षकार द्वारा राशि को स्वीकार नहीं की जाती तो ऐसी स्थिति में किसी भी उक्त पक्षों में से केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्ति किये गये पंच महोदय के समक्ष कार्यवाही करने के समक्ष माना है, किन्तु उक्त रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) (जी) के प्रावधानों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक इन विवादों का न्यायपूर्ण निस्तारण करने हेतु मान्यवर को आरबीट्रेटर नियुक्त करने बाबत अधिसूचना की गई है, जिस पर न्यायालय के निर्देशानुसार रेफरेंस याचिका पेश की जाती है।। इस कारण प्रार्थी उक्त रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) (जी) के प्रावधानों के अंतर्गत विधिक आपत्तियों सहित याचिका पेश करता है। इस भूमि के लिए अर्जित करने के आशय की घोषणा की थी जिसके अनुसरण में प्रार्थी आपत्तिकर्ता की भूमि खसरा नम्बर 241, 242, स्थित ग्राम बनबन तहसील तिजारा, जिला अलवर को अवाप्त करने किया। इस हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया। अधिसूचना में प्रार्थी की भूमि सहित ग्राम बनबन भूमि के अवाप्त किय जाने के आशय की भारतीय रेल अधिनियम 1989 के संशोधित अधिनियम 2008 के अंतर्गत की। इस अधिनियम के विधिक आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं करते हुए विपक्षी संख्या 4 भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर ने विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने की अनुपस्थिति में अवाई पारित किया गया, जिसकी सूचना भी विपक्षी संख्या 4 के द्वारा प्रार्थी को आजतक उपलब्ध नहीं करायी है। प्रार्थी को अवाई के बाबत जानकारी होने पर प्रार्थी ने तत्काल भूमि अवाप्ति एवं उपखण्ड अधिकारी तिजारा, जिला अलवर को अवाई की प्रमाणित प्रति दिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2016 को पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी को दिनांक 14.03.2016 को प्राप्त हुई। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने रेल अधिनियम की धारा 20 (ए) में वर्णित विभिन्न आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं कर प्रार्थी की भूमि को अवाप्त करने बाबत कार्यवाही करने हेतु पारित किया है, जो विधि के विरुद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि विपक्षी संख्या 1 के समक्ष सार्वजनिक प्रयोजन हेतु प्रार्थी की भूमि को अवाप्त करते हेतु पर्याप्त आधार उपलब्ध नहीं थे, फिर भी विपक्षी संख्या 1 ने अधिनियम के विपरीत भूमि को अवाप्त करने में अपनी संतुष्टि व्यक्त की है। विपक्षी संख्या 4 ने धारा 20 (ए) के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही नहीं की है। विपक्षी संख्या 4 ने प्राकृतिक एवं साम्य न्याय के सिद्धांतों के अनुकूल प्रार्थी की अवाप्तग्रस्त भूमि को अवाप्त करने से पूर्व किसी भी प्रकार की सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। विपक्षी संख्या 2 ने अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत भूमि अवाप्त करने के संबंध में आपत्तियां नहीं मांगकर किसी प्रकार की अग्रिम जांच नहीं की है। वर्तमान मामले में धारा 20 (ई) के विधिक प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की है। माननीय अधीनस्थ अधिकारी ने धारा 20 (एफ) के अंतर्गत भूमि की क्षतिपूर्ति की राशि के बाबत किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की है। इस कारण माननीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ अधिकारी ने धारा 20 (जी) के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण करने में वैधानिक भूल की है। वर्तमान मामले में विपक्षी संख्या 4 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 241, 242, 243 में से अवाप्त भूमि के क्षेत्रफल 1615 वर्गमीटर अर्थात भूमि को अवाप्त किया जाना प्रमाणित माना गया जिसके बदले में प्रतिकर गलत आधारों पर 1615 वर्गमीटर भूमि को अवाप्त करना प्रमाणित कर रूपये 844219 किया। प्रार्थी की भूमि के संबंध में विपक्षी विभाग ने गलत मूल्यांकन के आधार पर बाजार मूल्य के आधार पर भूमि अवाप्ति अधिकारी के अनुसार खसरा नम्बर 241, 242, 243 की भूमि बाजार के प्रचलित मूल्य के आधार पर मूल्यांकन की राशि निर्धारित करनी चाहिए। इसके पश्चात भी विपक्षी संख्या 4 भूमि अवाप्ति अधिकारी ने उक्त की गई मुआवजे की गणना को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमाने तौर पर भूमि अवाप्ति की राशि का निर्धारण किया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 4 ने अपने वैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर अवैधानिक तौर पर अवाई पारित किया है।

विपक्षी विभाग विधि विरुद्ध तौर पर भूमि को अपने अधिनियम में लेकर वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन करना चाहता है तथा बाजार मूल्य के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि विधिनुसार प्रार्थी को अदा नहीं कर भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर बहुत सूक्ष्म राशि निर्धारित करने की कार्यवाही की गई है, जिसके विरुद्ध माननीय पंच महोदय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार वास्तविक मूल्य के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन किया जाना न्यायसंगत है। जबतक प्रार्थी को वास्तविक बकाया मूल्य के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि का आंकलन नहीं होता है, तबतक प्रार्थी की भूमि स्थित खसरा नम्बर 241, 242 व 243 स्थित ग्राम बनबन, तहसील तिजारा, जिला अलवर को सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। अन्यथा यदि प्रार्थी की भूमि को जबरन तौर पर अपने आधिपत्य में ले ली तो प्रार्थी को अकथनीय क्षति होगी। प्रार्थी ने विपक्षीगण विभाग को विवाद के हल करने के लिए पंच नियुक्त करने बाबत नोटिस जारी किया है तथा रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) (6) के प्रावधानों के अनुसार पंच महोदय की नियुक्ति कर मान्यवर की अधिकृत किया है। विपक्षी विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति की आड में प्रार्थी की उक्त भूमि को जबरन अधिनियम के अंतर्गत कब्जे में लेने की कार्यवाही की जाती है। पंच महोदय के क्षतिपूर्ति मूल्यांकन से पूर्व यदि सम्पत्ति विभाग द्वारा लेकर स्वरूप परिवर्तन कर देने से प्रकरण का न्यायपूर्ण निस्तारण नहीं किया जा सकता है। इस कारण भी प्रार्थी की सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण होने तक तथा विवाद के निस्तारण तक सम्पत्ति को संरक्षित रखा जाना न्यायसंगत है तथा विवाद के निर्णित होने तक मौके की वास्तविक रिपोर्ट अभिलेख पर लिया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थी की अवाप्तग्रस्त सम्पत्ति के विपक्षी विभाग तहस-नहस करने को उतारू है तथा बिना बाजार मूल्य दर के अनुसार प्रार्थी को व्यवसायिक भूमि के बहुत सूक्ष्म व न्यून आधार पर मुआवजा राशि दिलाई जा रही है, जो लोक नीति के विरुद्ध है। उल्लेखनीय है कि विपक्षी विभाग द्वारा अपने व्यवसायिक कार्य का संचालन किया जावेगा, जिसे भी दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि का वास्तविक दर के आधार पर समकक्ष अधिनियम भूमि अवाप्ति अधिग्रहण के प्रावधान अनुसार एवं अवाप्ति से संबंधित राजकीय नीति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से राशि निर्धारित कराने का कानूनी अधिकारी है तथा दौरान पंच कार्यवाही वादग्रस्त सम्पत्ति का विधिनुसार संरक्षित किया जा सकता है। अतः रेफरेंस याचिका मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की भूमि स्थित ग्राम बनबन, तहसील तिजारा, जिला अलवर के बाबत पंच निर्णय होकर उसकी वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर दर्ज हिस्से के अनुसार क्षतिपूर्तिराशि निर्धारित किया जाकर राशि 1688438 अक्षरे सौलह लाख अठासी हजार चार सौ अड़तीस रुपये मात्र मय ब्याज क्षतिपूर्ति बाबत दिलाई जावे तथा प्रार्थी की उक्त भूमि का आधिपत्य प्राप्त नहीं करे, विपक्षी विभाग इस भूमि पर अपनी रेल योजना का कोई कार्य सम्पादित नहीं करे। अवाप्ति की भूमि बाबत मौके की बाजार मूल्य के आधार पर क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थी को दिलवाने तक विपक्षीगण उक्त भूमि में प्रार्थी को किसी प्रकार की बाधा व अवरोध उत्पन्न नहीं करे, सम्पत्ति की स्थिति यथावत बनाये रखे। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे एवं जो भी अन्य अनुतोष प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे, विपक्षीगण से दिलवाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे उत्तरदाता हरि मोहन गुप्ता, मुख्य परियोजना प्रबंधक-डी एफ सी सी आई एल० नोएडा, के पद पर नियुक्त हैं, तथा डी एफ सी सी आई एल द्वारा रेल मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य हेतु अधिकृत अधिकारी हैं। भारतीय रेल द्वारा स्थापित डी एफ सी सी आई एल द्वारा माल वाहक रेलगाड़ियों हेतु मुम्बई से दादरी तक दोहरी रेल लाईन का निर्माण किया जाना है, अतः उक्त विशेष राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण हेतु रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी तिजारा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिस हेतु भारतीय रेल अधिनियम 1989 यथु

संशोधित रेल अध्यादेश 2008 की धारा 20ए के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंध एवं प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु ग्राम-बनबन तहसील -तिजारा, जिला-अलवर की प्रश्नगत भूमि के अर्जन का प्रस्ताव मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, जिसके कार्यान्वयन हेतु संशोधित रेल अध्यादेश 2008 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, तिजारा, द्वारा भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में सहायक सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिस्पर्धी रूप से पाये गये अधिकतम मूल्य को अर्जित भूमि के बाजार मूल्य के रूप में निर्धारित करते हुए उक्त प्रश्नगत अभिनिर्णय दिनांक 15.07.2015 पारित किया है। रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। रेल अधिनियम की धारा 20 ए में वर्णित आज्ञात्मक प्रावधानों का पालन नहीं करने के आधार पर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं होने से अस्वीकार है वैधता अथवा अवैधता का निस्तारण करने का अधिकार माननीय एकमात्र पंच को नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये प्रार्थी की भूमि को अवाप्त करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं होना प्रार्थी ने गलत रूप से अंकित किया है अप्रार्थी ने अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के प्रावधानों के अनुसरण में की है। वर्णित तथ्यों के आधार पर यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र चलने काबिल नहीं है। अप्रार्थी ने सम्पूर्ण कार्यवाही रेल अधिनियम की धारा 20 ए की पालना पूर्ण कर 20 एफ 6 के तहत मुआवजा राशि का निर्धारण कर विधि के प्रावधानों के अनूकूल की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने काबिल है। अप्रार्थी ने सम्पूर्ण कार्यवाही प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप की है प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य वेग आधारों पर दर्ज किये हैं। वर्णित आधार पर अभिनिर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अप्रार्थी ने सम्पूर्ण कार्यवाही रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की है प्रार्थी ने यह गलत रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी ने धारा 20 ई के विधिक प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही नहीं की हो, अप्रार्थी ने धारा 20 ई की पालना कर ही सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही की है। यहाँ यह जाहिर करना जरूरी है कि अप्रार्थी ने हितबद्ध व्यक्तियों को रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20 एफ 9 के तहत भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण के फलस्वरूप सोलेशियम 60 प्रतिशत की दर से मुआवजा राशि के अतिरिक्त दिया है। प्रार्थी का यह जाहिर करना सरासर गलत है कि धारा 20 जी की पालना अप्रार्थी ने नहीं की हो, रेल अधिनियम की धारा 20 जी की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही अप्रार्थी ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य वेग आधारों पर दर्ज किये। अप्रार्थी ने गलत मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन की राशि का निर्धारण किया है, रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) एव 20 (जी) की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही अप्रार्थी ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का गलत रूप से दुरुपयोग किया हो एवं मूल्यांकन की राशि का निर्धारण सूक्ष्म अथवा कम किया हो, रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) एव 20 (जी) की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही अप्रार्थी ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग आधारों पर होने के कारण चलने काबिल नहीं है। प्रार्थी ने सम्पूर्ण तथ्य गलत रूप से अंकित किये हैं एवं प्रार्थी ने यह भी गलत अंकन किया है कि सम्पत्ति को विवाद के निस्तारण तक संरक्षित किया जाना आवश्यक हो। यहाँ यह जाहिर करना जरूरी है कि अवाप्तशुदा भूमि का कब्जा पूर्व में विधि के प्रावधानों की पालना में लिया जा चुका है। रेल अधिनियम की धारा 20 ई (2) के अनुसार "On the Publication of the declaration under sub sec (1) the land shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrance" प्रार्थी का यह जाहिर करना सरासर गलत है कि अप्रार्थी ने

अपने अधिकारों का गलत रूप से दुरुपयोग किया हो एवं मूल्यांकन की राशि का निर्धारण सूक्ष्म अथवा कम किया हो, रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) एवं 20 (जी) की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही अप्रार्थी ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वेग आधारों पर होने के कारण चलने काबिल नहीं है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि प्रार्थी को कब व किस प्रकार अवार्ड की जानकारी हुई एवं प्रार्थी ने देरी का कोई पर्याप्त कारण भी अंकित नहीं किया है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्दर गियाद नहीं होने के कारण खारिज किये जाने काबिल है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र के अनुतोष में वर्णित किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है प्रार्थना पत्र मात्र आधारहीन व वेग आधारों पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो सरसरी तौर पर खारिज फरमाये जाने काबिल है। हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए माल/उत्पाद के आवागमन के क्षेत्र में अतिशीघ्र पहुंच एवं त्वरित वृद्धि की आवश्यकता है, लेकिन हमारे देश में मानव रेलगाड़ियों को हमेशा माल गाड़ियों को ओवरटेक कर गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में प्रथम वरीयता दी जाती है, न कि माल गाड़ियों को, इसलिए माल को गन्तव्य स्थान तक पहुंचने में अधिक धन की बरबादी होती है। इसी को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे द्वारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का सृजन विशुद्ध रूप से माल के आवागमन के लिए किया गया है, जिससे न्यूनतम खर्च व समय में आवश्यक वस्तुएं आम जन को उपलब्ध हो सकें। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेलवे की हरित पट्टी युक्त एक विशेष परियोजना है, जिसके निर्माण के लिए प्रथम रूप से भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है एवं उक्त राष्ट्रीय महत्व की परियोजना हेतु भू-अर्जन की नियमावली एक विशेष अधिनियम- रेल संशोधन अधिनियम-2008 के अनुरूप निर्धारित है, जिस हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी, तिजारा को उक्त जनपद में भू-अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, नियुक्त किया गया है। चूंकि उक्त परियोजना राष्ट्रीय महत्व की एवं व्यापक जनहितकारी है, अतः उक्त परियोजना का क्रियान्वयन/देख-रेख प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा केन्द्रीय एवं राज्यवार नियमित अन्तराल पर बैठक कर की जाती है, जिससे कि निश्चित सम्यावद्ध में परियोजना का कार्य पूर्ण किया जा सके। यह कि सक्षम अधिकारी ने रेल अधिनियम की धारा 20 जी 1 (ii) के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण किया है सक्षम अधिकारी ने अभिनिर्णय में अंकित किया है कि विक्रय पत्रों की जानकारी कर विक्रय पत्रों में दर्ज प्रतिफल के आधार पर रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है। यह कि रेल अधिनियम की धारा 20 F (6) निम्न प्रकार है :-

**Sec 20 F (6) "If the Amount determined by the competent authority under sub sec (1) or as the case may be] sub sec (3) is not acceptable to either of the parties] the amount shall] on an application by either of the parties] be determined by the arbitrator to be appointed by the central government in such manner as may be prescribed-"**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में विवाद का निस्तारण होने तक अवाप्तशुदा भूमि को संरक्षित करने की प्रार्थना की है मगर अवाप्ति की कार्यवाही में विधि के प्रावधानों के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि अप्रार्थी में वेस्ट हो चुकी है रेल अधिनियम की धारा 20 F (6) निम्न प्रकार है :-

**"On the Publication of the declaration under sub sec (1) the land shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances"**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अवाईड पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध एवं नैतिकता व न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विरुद्ध बताकर गलती की है उक्त आधारों पर अवाईड को चुनौती नहीं दी जा सकती है ना ही उक्त आधारों पर अभिनिर्णय में कोई परिवर्तन ही किया जा सकता है। यह कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने निषेधाज्ञा की प्रार्थना एकमात्र पंच महोदय से की है जो कि मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम का विषय नहीं है, ना ही एकमात्र पंच महोदय को किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार कानूनन प्राप्त है। यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित किसी आधार पर प्रार्थी अभिनिर्णय में परिवर्तन कराने का अधिकारी नहीं है प्रार्थी को सर्वैधानिक अधिकारों के खिलाफ भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय में रिट करने का अधिकार है। प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने काबिल है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी से विशेष हर्जा दिलाया जाने के आदेश फरमावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) तिजारा (अलवर) द्वारा पारित अवाईड दिनांक 15.07.2015 के अवाईड के लिए प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी श्री श्रीराम की अप्रार्थीगण द्वारा अवाप्त की गयी भूमि 1615 हैक्टेयर भूमि स्थित ग्राम बनबन, तहसील तिजारा जिला अलवर का मुआवजा वास्तविक बाजार मूल्य के आधार पर निर्धारित किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि चाहता है। पत्रावली का अवलोकन से जाहिर होता है कि सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर ने धारा 20 ई की पालना कर ही सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही की हैं। सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर ने हितबद्ध व्यक्तियों को रेल संशोधित अधिनियम 2008 की धारा 20 एफ 9 के तहत भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण के फलस्वरूप सोलेशियम 60 प्रतिशत की दर से मुआवजा राशि के अतिरिक्त दिया है। रेल अधिनियम की धारा 20 जी की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) एव 20 (जी) की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। सक्षम प्राधिकारी (भू-अवाप्ति अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर ने मूल्यांकन की राशि का निर्धारण सूक्ष्म अथवा कम किया हो, रेल अधिनियम की धारा 20 (एफ) एव 20 (जी) की पालना में क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण के बाद ही अप्रार्थी ने भूमि को अवाप्त किया है एवं विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रार्थी को सुनवाई का मौका देकर ही सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। सक्षम प्राधिकारी ने रेल अधिनियम की धारा 20 जी 1 (ii) के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण किया है सक्षम प्राधिकारी ने अभिनिर्णय में अंकित किया है कि विक्रय पत्रों की जानकारी कर विक्रय पत्रों में दर्ज प्रतिफल के आधार पर रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का निर्धारण किया गया है। यह कि रेल अधिनियम की धारा 20 F (6) निम्न प्रकार है :-

Sec 20 F (6) "If the Amount determined by the competent authority under sub sec (1) or as the case may be] sub sec (3) is not acceptable to either of the parties] the amount shall] on an application by either of the parties] be determined by the

arbitrator to be appointed by the central government in such manner as may be prescribed-

उक्त विशेष राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण हेतु रेलवे संशोधित अधिनियम 2008 के तहत भूमि अधिग्रहण के कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा उप जिलाधिकारी तिजारा को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। जिस हेतु भारतीय रेल अधिनियम 1989 यथा संशोधित रेल अध्यादेश 2008 की धारा 20ए के अंतर्गत विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंध एवं प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु ग्राम- बनबन तहसील -तिजारा, जिला-अलवर की प्रश्नगत भूमि के अर्जन का प्रस्ताव मुख्य परियोजना प्रबंधक पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के द्वारा किया गया, जिसके कार्यान्वयन हेतु संशोधित रेल अध्यादेश 2008 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी/उप जिलाधिकारी, तिजारा, द्वारा भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण में सहायक सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिस्पर्धी रूप से पाये गये अधिकतम मूल्य को अर्जित भूमि के बाजार मूल्य के रूप में निर्धारित करते हुए उक्त प्रश्नगत अभिनिर्णय दिनांक 15.07.2015 पारित किया है। रेल अधिनियम के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण अवाप्ति की कार्यवाही की गई है। जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतः आवेदन पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है तथा रेल अधिनियम 1989 की धारा-20 एफ (6) (जी) के तहत एवं मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) तिजारा जिला अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(डॉ० आरुषी मलिक)  
संभारणीय आयुक्त,  
जसपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभारणीय आयुक्त,  
जसपुर।